निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 168 / 2018 **दिनांक : 08.02.2021**

अनवान

कालू पिता चतरभुज जी जाति गाडरी, उम्र 55 वर्ष, पेशा काष्त निवासी पिपलवास, त0 भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज) मो. नं. 9784852649

..... वादी

।। बनाम ।।

1. माधुलाल पिता भैरूलाल जी जाति लूहार उम्र वयस्क, निवासी पिपलवास, त0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. शंभूलाल पिता भैरूलाल जी जाति लूहार उम्र वयस्क, निवासी पिपलवास, त0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. प्रबंधक महोदय, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)
4. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)

..... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री प्रवीण वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 209 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात वाके ग्राम पिपलवास पटवार हल्का पिपलवास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बानसेन तह0 भदेसर के खाता संख्या 246 में दर्ज आराजी न. 148 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 0.87 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

लगानी 11.31/–रू स्थित है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 संलग्न वादपत्र है।

2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी न. 148 के साबिक आराजी न. 92 रकबा 10 बिस्वा एवं आ.नं. 93/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से खातेदार सुंदर नेड़ा नाथू लुहार निवासी पिपलवास का बनने वाला 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1986 को बिल एवंज रूपये 9,000/– रू अक्षरे नो हजार रू. में वादी के पिता चतरभूज पिता भगवान जी गाडरी ने क्रय किया एवं कब्जा प्राप्त किया तथा उक्त आराजीयात का नामान्तरणकरण संख्या 532 दिनांक 10.01.1987 को ग्राम पंचायत पिपलवास द्वारा वादी के पिता के नाम स्वीकृत किया गया एवं जमाबंदी में अमल दरामद किया जिसका इन्द्राज नामान्तरणकरण संख्या 532 में अंकित किया। इस तरह वादी के पिता उक्त आराजीयात पर खरीद दिनांक से काबिज होकर काश्त की एवं उनकी मृत्यु उपरांत वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

3. यह कि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से राजस्व कर्मचारियों द्वारा विलोपित कर सम्पूर्ण खाता प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज कर दिया जबकि मौके पर वादी अपने पिता द्वारा खरीद की गई आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसलिए वादी अपने पिता द्वारा खरीद की गई उक्त आराजीयात को अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी होने से वाद पत्र खातेदारी घोषणा का पेश है।

4. यह कि उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण वादी को उनके हक हिस्से की आरजीयात से बेदखल कर आराजीयात अन्य को रहन बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील करने की धमकियां दे रहे है एवं वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी कर रहे है इसलिए प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना निहायत जरूरी हो जाने से यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है।

5. यह कि बिनाय दावा प्रथतमः दिनांक 01.07.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को विक्रय करने की सौदेबाजी करने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

6. यह कि पक्षकारान एवं कृषि आराजीयात ग्राम पिपलवास तह० भदेसर में होने से प्रकरण राजस्व प्रकृति का होने से न्यायालय आपके श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होकर पेश है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

7. यह कि प्रतिवादी संख्या 03 के यहां भूमि रहन होने से इनको वाद पत्र में प्रतिवादी कायम किया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः प्रार्थना है कि :–

अ. पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादी वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 148 के साविक आराजी नम्बर 92 रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 93/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 1/2 हक हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे ।

ब. कि पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से में आने वाली भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वंय करें ना किसी अन्य से करावें एवं आराजीयात को रहन बय बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील न तो स्वंय करें ना किसी अन्य से करावें इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे ।

स. कि अन्य दाद जो वादी को न्यायालय दिलाना उचित समझे दिलाई जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जो संलग्न पत्रावली है किन्तु प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही भाग नहीं लिया गया तथा दिगर प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जो कि मूल खातेदार है कि ओर से किसी प्रकार का वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिंदु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबन्दी मौजा पिपलवास खाता संख्या 246 संवत् 2072–2075 प्रदर्श–1
2. पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 8.12.1986 सुन्दर बेवा बालू लुहार द्वारा चतरभुज गाडरी के पक्ष में निष्पादित प्रदर्श–2

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

3. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 के तहत श्री कालू पिता चतरर्भूज गाडरी निवासी पिपलवास

4. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 के तहत श्री रतनलाल पिता उंकारलाल जाट निवासी पिपलवास

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ की ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूभी साबित कराया है। कि विवादित आराजीयात में तत्कालिन मूल खातेदार सुन्दर बेवा नाथू लूहार द्वारा अपना हक हिस्से में से भूमि वादीगण के पिता चतरर्भुज पिता भगवान लाल गाडरी को प्रदर्श 2 अनुसार जरिये पंजीकृत दस्तावेज से विक्रय की गयी जिसका नामांतकरण सं. 532 दिनांक 10.01.1987 खोला गया तथा राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ किन्तु कालांतर में रोटेशन जमाबंदीयों में क्रेता चतरर्भुज का नाम विलोपित कर दिया गया तत्पश्चात क्षेत्र में भू प्रबंधीय कार्यवाही अमल लायी जाने से एवं मूल खातेदार सुन्दर की मृत्यु हो जाने से व साबिक नम्बरान के नवीन आराजी नं. कायम होकर आराजी नं. 148 रकबा 0.87 हैक्टर के रूप में प्रतिवादी सं. 1 ओर 2 जो कि सुन्दर के वारीसान है के खातेदारी में दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड की वर्तमान उत्पन्न हो चुकी है जिससे वादीगण अपने हक अधिकारों से वंचित चल रहे है।जो क्रेता चतरर्भूज गाडरी के वारिस होकर पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकार्ड क्रय आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी पाये जाते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से भी वाद के तथ्यों को बल मिलता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम पिपलवास पटवार हल्का पिपलवास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बानसेन तह0 भदेसर की साबिक आराजी नम्बर 92 रकबा 10 बीस्वा एवं आराजी नम्बर 93/2 रकबा 3 बीघा 15 बीस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 15 बीस्वा भू प्रबंध से कायम नवीन आराजी नम्बर 148 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.87 हैक्टर में वर्तमान खातेदारान माधुलाल शंभूलाल पिता भैरू लूहार के साथ वादी कालू पिता चतरर्भूज गाडरी का 1/2 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

भूमि के खातेदार घोषित किये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि उक्त्त अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तक भूमि को खूर्द बूर्द रहन बय बखशीश नहीं करें। न अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर - चित्तौड़गढ़

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner